

F. No. SW-34/2/2016-SWADHAR
भारत सरकार
Government of India
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Development

Ground Floor, Jeevan Tara Building,
Sansad Marg ,New Delhi
Dated 18.09.2020

To

Chief Controller of Accounts
Principal Accounts Office
Ministry of Women & Child Development
New Delhi.

Subject: Release of Grants-in-aid to the State Government of Tamil Nadu for implementation of Swadhar Greh Scheme.

Madam/Sir,

I am directed to convey the sanction of President to the payment of **Rs. Rs. 2,54,450/- (Rupees Two Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred Fifty only)** to State Government of Tamil Nadu as first instalment of grants-in-aid (50% of GoI's share) for the period 01.09.2020 to 31.03.2020 for implementation of the Swadhar Greh Scheme.


2. The Swadhar Scheme is a sub-scheme of the Centrally Sponsored Umbrella Scheme "Protection & Empowerment of Women" with prescribed cost sharing between Centre and States/UTs. In the above release, the Central Government contribution has been calculated on 60:40 ratio and sanction of funds is subject to the following conditions;

i. The amount of the grant will have to be utilized for all components under the scheme as per the schematic norms.

ii. The States/UTs shall also be required to contribute their share for implementation of the Swadhar Greh scheme.

iii. States/UTs may, in particular, ensure that the rent is paid in accordance with the existing Rent Agreement till its validity or Rent Assessment certificate, whichever is lower subject to the ceiling mentioned at S.No. 8, Para H (iv) of the guidelines.

iv. The State/UTs may ensure that Implementing agencies/Voluntary Organisations are registered with NGO PS Portal before the grant is released to them.


(मनीष कुमार सिंह)
(MANISH KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

फाइल. सं. एस.डब्ल्यू-34/2/2016-स्वाधार

भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भू तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 18.09.2020

सेवा में

मुख्य लेखा नियंत्रक
प्रधान लेखा कार्यालय,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
नई दिल्ली।

विषय: स्वाधार गृह स्कीम के कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु को प्रतिपूर्ति के तौर पर वर्ष की प्रथम किस्त के अनुदान की निर्मुक्ति।

महोदया/महोदय,

गुझे रुपये के भुगतान के लिए राष्ट्रपति की गंजूरी से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। रु. 2,54,450 / - (रूपए दो लाख चौवन हजार चार सौ पचास केवल) तमिलनाडु राज्य सरकार को अनुदान की पहली किस्त के रूप में सहायता (50% of Gol's share) अवधि 01.09.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए स्वाधार गृह योजना का कार्यान्वयन।

2. स्वाधार गृह स्कीम केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साझाकरण वाली केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला स्कीम "महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण" की उप-स्कीम है। उपरोक्त निर्मुक्ति में, केंद्र सरकार के अंशदान की 100 प्रतिशत के अनुपात में गणना की गई है और निधियों की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है;

- i. अनुदान की राशि स्कीम के मानदंडों के अनुसार स्कीम के तहत सभी घटकों के लिए उपयोग की जानी होगी।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी स्वाधार स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अपने अंश का योगदान करना होगा।
- iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विशेषतया, सुनिश्चित करें कि किराए का भुगतान मौजूदा किराया अनुबंध की वैधता तक या किराया निर्धारण प्रमाणपत्र के अनुसार, जो भी कम हो, दिशानिर्देशों में वर्णित सीमाओं के अधीन किया जाता है।
- iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करें कि कार्यान्वयन एजेंसियां/स्वैच्छिक संगठन उन्हें अनुदान निर्मुक्त किए जाने से पूर्व एनजीओ पीएस पोर्टल पर पंजीकृत हों।

3. अनुदान इस शर्त के भी अधीन है कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए गृह के कार्यान्वयन के लिए किए गए व्यय के अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखेगी और हर छमाही में भौतिक प्रगति रिपोर्ट सहित व्यय और उपयोग प्रमाणपत्र का अलग-अलग विवरण प्रस्तुत करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पहले निर्मुक्त की गई राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है और भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित सूचित किए गए डेटा और तथ्य सही हैं। राज्य सरकार पिछले वर्ष से शेष राशि और चालू वर्ष के दौरान निर्मुक्तियों से खर्च करने की क्षमता भी स्पष्ट करेगी।

मन्देश कुमार सिंह
(MANISH KUMAR SINGH)
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. The grant is further subject to condition that the State Government will maintain separate records of expenditure incurred for implementation of Home for Women and furnish separate Statement of Expenditure and Utilization Certificate along with Physical Progress Report every half year and will ensure that the funds earlier released have been effectively utilized and the data and facts reported relating physical and financial performance are correct. State Government will also explain the capacity of spending balance from the previous year and the releases during the current year.

4. The information on expenditure on Swadhar Greh from 1st April to 30th September must be furnished by 15th October, for the period from 1st October to 31st March by 15th April to enable the Ministry to work out the entitlement of Central assistance of each State Government/UT Administration.

5. The payment is provisional and is subject to final adjustment in the light of the audited figures of actual expenditure for the year as a whole. The grant-in-aid is subject to the condition that when the Scheme is closed or abandoned, the proceeds from the disposal of assets built out of the whole or a portion of the grant sanctioned will revert to the Central Government.

6. The expenditure is debitable to Demand No.100, Department of Women and Child Development, Major Head "3601" Grant-in-aid to State Governments, 06.101-Centrally Sponsered Schemes-Central Assistance/Share, 48-Mission for Empowerment and Protection for Women, 02-Swadhar Greh, 31-Grant-in-aid General, 2020-21.

7. The amount of grant-in-aid is finally adjustable in the books of the Principal Pay and Accounts Office, Ministry of Women & Child Development, D, Wing, Ground Floor, Shastri Bhawan, New Delhi. The payment of the State would be arranged through the Reserve Bank of India, Nagpur. The State Accountant Generals will send intimation regarding receipt of grant-in-aid to the Principal Pay & Accounts Office, Ministry of Women & Child Development, Shastri Bhawan, D Wing, Ground Floor, New Delhi.


8. The accounts of all Grantee Institutions or Organisations shall be open to inspection by the sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG(DPC) Act 1971 and internal audit by the Principal Accounts Office of the Ministry or Department, whenever the Institution or Organisation is called upon to do so and a provision to this effect should invariably be incorporated in all orders sanctioning Grants-in-aid

9. The pattern of grants has been approved by the Ministry of Finance. This sanction is being issued in conformity with the rules and principles of the scheme approved by the Competent Authority.


(मनिष कुमार सिंह)
MANISH KUMAR SINGH
अवर सचिव/Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. स्वाधार पर व्यय की जानकारी 1 अप्रैल से 30 सितंबर की अवधि हेतु 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च की अवधि हेतु 15 अप्रैल तक प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे मंत्रालय प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की केंद्रीय सहायता की हकदारी तय करने में सक्षम हो सके।
5. यह भुगतान अनंतिम है और वर्ष के वास्तविक व्यय के लेखापरीक्षित आंकड़ों के आलोक में अंतिम समायोजन के अधीन है। अनुदान इस शर्त के अधीन है कि यदि योजना को बंद किया जाता या छोड़ दिया जाता है तो, संपूर्ण स्वीकृत अनुदान या उसके अंश से निर्मित परिसंपत्तियों के निपटान से प्राप्त राशि केंद्र सरकार को वापस की जाएगी।
6. यह व्यय मांग सं. 100, महिला और बाल विकास विभाग, प्रमुख शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को अनुदान सहायता, 06.101-केंद्र प्रायोजित योजनाएं-केंद्रीय सहायता/अंश, 48-महिला सशक्तीकरण और संरक्षण मिशन, 02- स्वाधार, 31-अनुदान सामान्य, 2020-21।
7. अनुदान की राशि अंततः प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विंग, भू तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की बहियों में समायोजनीय है। राज्य के भुगतान की व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के माध्यम से की जाएगी। राज्य के महालेखाकार अनुदान प्राप्त करने के बारे में प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विंग, भू तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।
8. सभी ग्रांटी संस्थानों या संगठनों के खाते सीएजी (डीपीसी) अधिनियम 1971 और मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रावधान के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अनुमोदित प्राधिकारी और लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए खुले होंगे। या विभाग, जब भी संस्था या संगठन को ऐसा करने के लिए बुलाया जाता है और इस आशय का एक प्रावधान अनुदान-इन-सहायता को मंजूरी देने वाले सभी आदेशों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
9. अनुदान का पैटर्न वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप जारी की जा रही है।
10. आईएफडी की सहमति, डायरी सं. 23532/एस और एफए दिनांक 16.09.2020 के माध्यम से यह स्वीकृति जारी की जाती है।
11. अनुदान रजिस्टर में क्रमांक 12 पर प्रविष्टियां की गई हैं।

भवदीय,


 (MANISH KUMAR SINGH)
 अवर सचिव, भारत सरकार
 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
 Ministry of Women & Child Dev.
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, तमिलनाडु सरकार.
2. महालेखाकार, तमिलनाडु सरकार
3. लेखापरीक्षा निदेशक, केंद्रीय राजस्व, एजीसीआर बिल्डिंग, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
4. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग(योजना वित्त प्रभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

10. This sanction issues with the concurrence of IFD **vide their Dy.No. 23532/AS&FA Dated 16.09.2020.**

11. Entries have been made in the Grant-in-aid Register at S.No.12.

Yours sincerely,



(Manish Kumar Singh)

Under Secretary to the Government of India

(MANISH KUMAR SINGH)
Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली, 2020

Copy forwarded to:

1. The Secretary, Women & Child Development Department, Government of Tamil Nadu (List of NGO enclosed)
2. The Accountant General, Government of Tamil Nadu.
3. The Director of Audit, Central Revenues, AGCR Building, I.P. Estate, New Delhi
4. Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, (Plan Finance Division), North Block, New Delhi
5. Cash Section, Ministry of Women & Child Development
6. PS to Minister, MWCD/PPS to Secretary/IFD/US (Budget)
7. Guard Files/Sanction Folder
8. Pay & Accounts Officer, Ministry of Women & Child Development, New Delhi
9. Internal Audit Wing of Pr. Accounts Office.



(Manish Kumar Singh)

Under Secretary to the Government of India

(MANISH KUMAR SINGH)
Under Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली, 2020

5. रोकड़ अनुभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
6. मंत्री, म.बा.वि.मं. के निजी सचिव/सचिव के प्रधान निजी सचिव/आईएफडी/अवर सचिव(बजट)
7. गार्ड फाइल/स्वीकृति फोल्डर
8. वेतन एवं लेखा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
9. प्रधान लेखा कार्यालय का आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

मनीष कुमार सिंह

(मनीष कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

(मनीष कुमार सिंह)

(MANISH KUMAR SINGH)

अवर सचिव/Under Secretary

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

Ministry of Women & Child Dev.

भारत सरकार/Govt. of India

नई दिल्ली/New Delhi

Name of New NGO sanctioned by Ministry, MWCD under Swadhar Grehs:

- Integrated Rural Community, Sivagangai